Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2011
(PHALGUNA 5, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th February, 2011

No. 3—HLA of 2011/7/7.—The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 3—HLA of 2011

THE HARYANA SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 7th September, 2010.

Amendment of section 3 of Haryana Act 3 of 1970.

2. In sub-section (1) of section 3 of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970 (hereinafter called the principal Act), for the words "twenty thousand rupees", the words "forty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 8 of Haryana Act 3 of 1970.

3. In sub-section (2) of section 8 of the principal Act, the words "at the rate of rupees six hundred per day or" shall be omitted.

Repeal and saving.

4. (1) The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 13 of 2010), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Salary of the Chief Minister/Ministers/Ministers of State and Deputy Ministers which is being provided under the provisions of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970, was enhanced more than two years ago. Keeping in the view the rise in cost of living the Government has decided to enhance the salary of Chief Minister/Ministers/Ministers of State and Deputy Ministers.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 24th February, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed increase in the salary of Chief Minister/Ministers/Ministers of State/Deputy Ministers from Rs. 20,000/- to Rs. 40,000/- per month will entail an extra expenditure of Rs. 33,60,000/- per year.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 3-एच० एल० ए०

हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2011

हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

(2) यह 7 सितम्बर, 2010 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1970 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "चालीस हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1970 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में, "प्रतिदिन छह सौ रुपए की दर पर अथवा" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 13), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा मंत्रियों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1970 में प्रावधानानुसार मुख्यमंत्री/मत्रियों/ राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन को दो वर्ष से अधिक अवधि से पूर्व बढ़ाया गया था। जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों व उप मंत्रियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
24 फरवरी, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

मुख्यमंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों की प्रस्तावित वेतन वृद्धि रु० 20,000/- से रु० 40,000/- प्रति माह करने पर रु० 33,60,000/- प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्चा आएगा।

48331—H.V.S.—H.G.P., Chd.